(43)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	दायर दिनांक	तारीख फैसला
113/2018	24.09.2018	06.05.2025

जगदीश नारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण शर्मा उम्र 60 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बोबाड़ी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।
कैलाश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी बोबाडी तह0 जमवारामगढ।
बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी बोबाडी तह0 जमवारामगढ।
महावीर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी बोबाडी तह0 जमवारामगढ।
प्रेमदेवी पत्नी मंगलचन्द जाति जाट निवासी बोबाडी तह0 जमवारामगढ।
शिवनाथ पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी ग्राम बोबाडी तह0 जमवारामगढ।

प्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामकरण शर्मा :– वकील प्रार्थी।
श्री महेश शर्मा :– वकील अप्रार्थी सं0 5, 6

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम बाबत दुरूस्ती

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 रा0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की शामलाती भूमियां गत खसरा नम्बर 86, 87, 88, 89 वाके ग्राम बोबाडी, तहसील जमवारामगढ में स्थित आराजी रही है जो तरमीम शुदा खातेदारी थी जिसका विधिक बंटवारा भी खातेदारों के मध्य हो गया है। जिससे खसरा नम्बर 86/2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 87/1 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 87/3 रकबा 9 बिस्वा भूमि प्रार्थी के बंटवारे में दी गयी तथा खसरा नम्बर 86/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं0 5 व 6 के हक में दी गयी एवं खसरा नम्बर 87/2 रकबा 3 बीघा अप्रार्थी सं0 2 ता 4 के हक में दी जाकर विधिक बंटवारा किया गया। जिस विधिक बंटवारा का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शें मे नवीन सैटलमेंट के बाद किया गया है। गत खसरा नम्बर 87 के हाल खसरा नम्बर 126 रकबा0.98है, खसरा नम्बर 86 के हाल खसरा नम्बर 125 रकबा 0.42है0, खसरा नम्बर 88 के हाल खसरा नम्बर 127 रकबा 0.01है0 एवं खसरा नम्बर 89मिन. के हाल खसरा नम्बर 129 रकबा 0.53है0 कायम किये गये तथा विधिक बंटवारा से खसरा नम्बर 86/1 हाल खसरा नम्बर 796/125 को प्रार्थी ने जरिये विकय पत्र अप्रार्थी सं0 5 ता 6 से खरीद किया है तथा खसरा नम्बर 87/3 हाल खसरा नम्बर 126 रकबा 9 बिस्वा को अप्रार्थी सं0 5 ता 6 को बेचान किया है। इस प्रकार प्रार्थी के हाल खसरा नम्बर 125 रकबा 0.31है0, खसरा नम्बर 125/767 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 796/125 रकबा 0.11है0 भूमि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी है। जिसका नक्शा गत नक्शें से संकुचित किया गया है इसलिये नक्शा दुरूस्ती के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। गत खसरा नम्बर 87 व 89 तरमीम शुदा भूमि थी जिसके हाल खसरा नम्बर 126 व 129 कायम किया गया नक्शा पूर्व नक्शें से भिन्न तरतीम की जाकर गत खसरा नम्बर 86 के हाल खसरा नम्बर 125 कायम करते वक्त नक्शा पूर्व नक्शे से काफी संकुचित कर दिया गया है। संकुचित किये गये भाग को नजरी नक्शें में ए से बी गुलाबी रंग से दर्शित किया गया है जो वर्तमान में खसरा नम्बर 126 में सम्मिलित कर खसरा नम्बर 126 का अधिक बढाया गया है जो दुरूस्तनीय है एवं वर्तमान खसरा नम्बर 126 का अधिक बढाया गया है भाग को ए से बी नक्शा में गुलाबी रंग से दर्शित किया गया है जो भूमि खसरा नम्बर 86 का भाग

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

है जो वर्तमान खसरा नम्बर 125 की तरमीम उक्त दर्शित ए से बी गुलाबी रंग को सम्मिलित की जाकर तरमीम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 87 हाल खसारा नम्बर 126 के नक्शें को पूर्व अनुरूप तरमीम नही किया गया और गत खसारा नम्बर 89 से बने हाल खसरा नम्बर 129 के नक्शें को बढाया जाकर खसरा नम्बर 87 के नक्शें को संकुचित किया गया। खसरा नम्बर 129 में खसरा नम्बर 87 के नक्शें की भूमि को सी से डी गुलाबी रंग से दर्शित किया गया है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 125 व 126 की नक्शा तरमीम संकुचित की गयी को पूर्व नक्शे मुताबिक नजरी नक्शें में गुलाबी रंग से दर्शित रंग की भूमि ए से बी को हाल खसरा नम्बर 125 व सी सें डी से दर्शित गुलाबी रंग की भूमि को खसरा नम्बर 126 मे सम्मिलित कर हाल नक्शा दुरूस्त किया जावें। हाल खसरा नम्बर 127 जो कि गै0मु0चाह है जिसके गत खसरा नम्बर 88 है जो तरमीम शुदा रहा है जिसकी तरमीम हाल नक्शें मे गत नक्शें अनुसार नही है। जिसे भी दुरूस्त किया जावें। अतः हाल खसरा नम्बर 125 व 126 की नक्शा तरमीम संकुचित की गयी को पूर्व नक्शें मुताबिक नजरी नक्शें मे गुलाबी रंग से दर्शित भूमि ए से बी को हाल खसरा नम्बर 125 व सी से डी से दर्शित गुलाबी रंग की भूमि को खसरा नम्बर 126 मे सम्मिलित कर हाल नक्शा दुरूस्त किया जावें अर्थात हाल खसरा नम्बर 125, 126, 127, 128, 129 की नक्शा तरमीम गत खसरा नम्बर 86, 87, 88, 89, 89मि. के अनुरूप हाल नवीन नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 5, 6 की ओर से एडवोकेट श्री महेश शर्मा ने उपस्थित होकर दिनांक 21.01.20 को वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 08.01.2021 को जवाब पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थि। शेष अप्रार्थी सं0 2 ता 4 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 2 ता 4 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है एवं अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने पत्रांक /एल. आर./ 25/ 431 दिनांक 11.02.25 द्वारा जवाब पेश किया । जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील उभय पक्षों व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की शामलाती भूमियां गत खसरा नम्बर 86, 87, 88, 89 वाके ग्राम बोबाडी, तहसील जमवारामगढ में स्थित आराजी रही है जो तरमीम शुदा खातेदारी थी जिसका विधिक बंटवारा भी खातेदारों के मध्य हो गया है। हाल खसरा नम्बर 125 व 126 की नक्शा तरमीम संकुचित की गयी को पूर्व नक्शें मुताबिक नजरी नक्शें मे गुलाबी रंग से दर्शित भूमि ए से बी को हाल खसरा नम्बर 125 व सी से डी से दर्शित गुलाबी रंग की भूमि को खसरा नम्बर 126 मे सम्मिलित कर हाल नक्शा दुरूस्त किया जावें अर्थात हाल खसरा नम्बर 125, 126, 127, 128, 129 की नक्शा तरमीम गत खसरा नम्बर 86, 87, 88, 89, 89मि. के अनुरूप हाल नवीन नक्शा दुरूस्त किया जावें।

वकील अप्रार्थी सं0 5 व 6 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओ को दौहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रकरण में साविक खसरा नम्बर 86, 87, 88, 89 के संबंध में पूर्व में खातेदारी हक व हिस्से अनुसार पक्षकारों के मध्य नियमित वाद सं0 65/2011 उनवान जगदीश बनाम शिवनाथ वगे0 में आपसी पूर्ण रजामन्दी अनुसार प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय प्रस्तावित राजस्व नक्शा के आधार पर सहमतिपूर्ण अंतिम रूप से निर्णय होकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करते हुए विभाजित खसर नम्बर 86/1 रकबा 9 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 89 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि मिन अप्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित करते हुए निर्णय डिकी पारित किया गया, जिसके मुताबिक ही मिन अप्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड व नक्शें में अमलदरामगदी की गई तथा इसी प्रकार विभाजन में प्रस्तावित खसरा नम्बर 86/2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 87/1 रकबा 10 बिस्वा, 87/3 रकबा 9 बिस्वा भूमि प्रार्थी स्वयं के खातेदारी व राजस्व नक्शें में अमल किया गया। अर्थात उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति पूर्ण रजामन्दी अनुसार न्यायालय निर्णय व डिकी की पालना में किया गया है तथा प्रकरण में प्रार्थी के हित में विभाजन के वाद मे निर्णित प्रस्तावित खसरा नम्बर 87/3 रकबा 9 बिस्वा भूमि को अपने खातेदारी में अंकित होने के उपरान्त मिन अप्रार्थीगण के हित में विक्रय पत्र निष्पादित व पंजिबद्व कराया गया तथा मिन अप्रार्थीगण के निर्णित प्रस्तावित खसरा नमबर 86/1 रकबा 9 बिस्वा भूमि को प्रार्थी ने अपने हित में जरिये विक्रय पत्र खातेदारी प्राप्त किया गया है। जो कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति अनुसार निष्पादित विक्रय पत्रों अनुसार खातेदारी दर्ज हुई है, जिनके राजस्व रिकार्ड व नक्शें को धारा 131, 132, 136 भू राजस्व अधि0 के तहत लिपिकीय त्रुटि के अन्तर्गत नही पढा जा सकता है। प्रकरण

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

खारिज करने योग्य है तथा खसरा नम्बर 217/2 का प्रकरण से कोई संबंध नही है। प्रकरण में विवादित खसरा नम्बर 129, 127 के राजस्व नक्शों को चाहबल खसरा नम्बर 134, 130 के राजस्व नक्शों से नाप करने पर मिन अप्रार्थीगण के खातेदारी रकबे अनुसार ही भूमि मौके पर कायम की गई है, लेकिन प्रार्थी ने अन्य त्रुटिपूर्ण चाहबल से अपनी भूमि की गलत नाप जोक कराते हुए मिन अप्रार्थीगण की भूमि को पूर्व दिशा में खिसकाने के लिए झुठा प्ररकण बनाकर प्रस्तुत किया है। अतः वर्तमान राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शों में वास्तविक व भौतिक रूप से मौके कब्जे अनुसार मिन उत्तरदातागण की भूमि खसरा नम्बर 126, 129, 127 के राजस्व नक्शें में कराने का प्रार्थी को अधिकार नही है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि ग्राम बोबाडी के गत नामा0 सं0 898 दिनांक 21.01.13 के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 86 रकाब 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 87 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा के नामा0 आदेश डिकी एवं निर्णय से विभाजन पश्चात खसरा नम्बर 86/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, शिवनाथमल पुत्र रामनाथ हि0 1/2, प्रेम देवी पत्नि मंगल चन्द हि0 1/2 जाति जाट सा0 बृजपुरा तथा खसरा नम्बर 86/2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 87/1 रकबा 10 बिस्वा, 87/3 रकबा 9 बिस्वा, जगदीश नारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण कौम ब्राहमण सा0देह खसरा नम्बर 87/2 रकबा 3 बीघा, कैलाश चन्द, बाबूलाल, महावीर प्रसाद पि0 लक्ष्मीनारायण कौम ब्राहमण सा0देह खातेदार का अंकन स्वीकार हुआ। मुताबिक सैटलमेंट कार्यवाही मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 87 हाल खसरा नम्बर 126 रकबा 0.98है0 साबिक 86 के हाल खसरा नम्बर 125 रकबा 0.42है0 साबिक खसरा नम्बर 88 हाल खसरा नम्बर 127 रकबा 0.01है0 तथा साबिक खसरा नम्बर 128 रकबा 0.01है0 एवं साबिक खसरा नम्बर 89 मि. हाल खसरा नम्बर 129 रकबा 0.53है0 कायम किये गये। साबिक खसरा नम्बर 87/3 के हाल खसरा नम्बर 126 मे से नामा0 सं0 926 दिनांक 20.05.13 द्वारा प्रार्थी जगदीश नारायण के द्वारा प्रेमदेवी पत्नि मंगलचन्द कौम जाट को रकबा 0.11है0 बैचान का अंकन स्वीकार हुआ। एवं नामा0 सं0 923 विक्रय पत्र दिनांक 20.05.13 द्वारा रकबा 0.11है0 भूमि खसरा नम्बर 125 साबिक 86/1 वर्तमान 796/125 जगदीश नारायण अर्थात प्रार्थी की खरीद शुद्वा भूमि है। हाल सैटलमेंट से पूर्व साबिक नक्शा खसरा नम्बर 87, 86, 89 का मिलान हाल तरमीम शुद्वा खसरा नम्बर 126, 129, 796/125, 125, 786/126, 785/126 से मिलान करने पर अन्तर पाया गया जो कि संलग्न नक्शें अनुसार है। हाल सैटलमेंट से पूर्व साबिक नक्शें का मिलान करने पर साबिक खसरा नम्बर 88 के हाल खसरा नम्बर 127 गै.मु. चाह की तरमीम भिन्न है। हाल खसरा नम्बर 126 की रकबा बरारी करने पर खसरा नमबर 126 के विभाजित खसरा नम्बर 786/126, 786/126, 126 एवं 125 के विभाजित खसरा नम्बर 125, 796/126 का रकबा जमाबन्दी मे दर्ज रकबे अनुसार व खसरा नम्बर 796/125, 125 का रकबा जमाबन्दी में दर्ज रकबे से कम क्षेत्रफल में पाया गया। खसरा नम्बर 125/767, 126/773 की तरमीम की रकबा बरारी करने पर जमाबन्दी में दर्ज रकबे से अधिक पाया गया। साबिक खसरा नम्बर 86, 87, 88, 89 के हाल खसरा नम्बर 125, 126, 127, 129 की तरमीम से भिन्न है एवं रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित दुरूस्ती का नक्शा संलग्न कर रखा है।

वकील उभय पक्षों की व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैराकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि राजस्व नक्शे मे साबिक खसरा नम्बर 86, 87, 88, 89 के हाल खसरा नम्बर 125, 126, 127, 129 की तरमीम से भिन्न है। प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम बोबाडी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 125, 126, 127, 129 के साबिक खसरा नम्बर 86, 87, 88, 89 को जमाबन्दी में अंकित रकबे अनुसार रकबा बरारी करते हुए प्रस्तावित नक्शें अनुसार नक्शा दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 06.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़